FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0075 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/03/2026 18:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 17/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 15:25 बजे **Time To (समय तक):** 13:33 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/03/2026 **Time (समय):** 00:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/03/2026 18:16:27 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARYALAY JILA UDYOG AVAM VANIJAY KENDRA, JHUNJHUNU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAVIKANT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SUBASH KUMAWAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.45, JAIN DADA WARI KE PASS, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.45, JAIN DADA WARI KE PASS, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NEERAJ KUMAR		पिता:SULTANRAM	1. JAT COLONY DEVA BABA KI PYAU KE SAMNE,NAVALGARH ROAD SIKAR,SIKAR,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 16.03.2026 को परिवादी श्री रविकान्त पुत्र श्री सुभाष कुमावत निवासी जैन दादा बाडी के पास, वार्ड नम्बर 45 झुंझुनूं उपस्थित कार्यालय आया व एक लिखित प्रार्थना मय स्वयं के आधार कार्ड की फोटो प्रति, प्रधान मंत्री एम्पलोईमेंट जनरेशन प्रोग्राम के प्रार्थना पत्र की तीन स्वप्रमाणित प्रति श्री रोहिताश्व सिंह सउनि को इस आशय का पेश किया कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी झुंझुनूं। विषय रिश्वत लेते की कार्यवाही करवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मै रविकांत पुत्र श्री सुभाष कुमावत निवासी जैन दादाबाडी के पास, वार्ड नम्बर 45 झुंझुनूं का रहने वाला हूं। मैने दिनांक 26.02.2026 को प्रधानमंत्री एम्पलोईमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत जिला उधोग विभाग झुंझुनूं में 5 लाख रूपये के लोन के लिए आवेदन किया था। मेरा लोन विभाग द्वारा दो बार रिजेक्ट कर दिया गया है। मेरे पास मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आया और मुझे उधोग विभाग कार्यालय में बुलाया। उधोग विभाग के बाबु श्री नीरज ने मेरे से कहा कि आपका लोन मै कुछ कमियां है आप मुझे 2500 रूपये दोगे तो मै आपका लोन पास करवा दूंगा। मेरी श्री नीरज बाबु से पूर्व से कोई रंजिश एवं उधार का लेनदेन नही है। मै रिश्वत खोर बाबू को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू। रिपोर्ट करता हू कार्यवाही करें। दिनांक 16.03.2026, एसडी प्रार्थी रविकान्त पुत्र श्री सुभाष कुमावत उम्र 25 वर्ष जाति कुमावत, नीवासी जैन दादा बाडी के पास, वार्ड नम्बर 45, झुंझुनूं मोबाइल नम्बर परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है। मैने प्रधानमंत्री एम्पलोईमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत जिला उधोग विभाग झुंझुनूं में 5 लाख रूपये के लोन के लिए दिनांक 26.02.2026, 04.03.2026 को आवेदन किया था। जिसको उधोग विभाग द्वारा दो बार निरस्त कर दिया है। दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा पुनः आवेदन किया गया है जिस पर श्री नीरज बाबू ने मेरे को अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल कर मुझे उधोग विभाग कार्यालय में बुलाया और कहा कि अपका ऋण प्रार्थना पत्र को अप्रूवल करने के लिए 2500 रुपये लगेगे। श्री नीरज ने बताया कि मै यहा से आपका काम कर दूंगा बैंक की आपकी जिम्मेवारी होगी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया हैं। परिवादी ने बताया कि मै श्री नीरज बाबू उधोग विभाग से आज मिल कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हॅू। चौकी हाजा पर श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक व मन् पुलिस निरीक्षक उपस्थित नही होने पर श्री रोहिताश्व सउनि ने श्री नरेन्द्र कुमार पूनियाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वाट्सअप वार्ता कर उपरोक्त हालात निवेदन किये। परिवादी श्री रविकान्त को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर वार्ता करवाई। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने श्री रोहिताश्व सउनि को निर्देशित किया कि गोपनीय रिश्वत मांग का सत्यापन करवा कर अवगत करावे। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मोबाईल पर हुई वार्ता के निर्देशानुसार श्री रोहिताश्व सउनि ने श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40 का परिचय परिवादी से करवाया। कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकार्डर एवं खाली मौमारी कार्ड निकाल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नही पाई गई। परिवादी को कार्यालय की डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश की गई। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 को कार्यालय की डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री रविकान्त के साथ गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु परिवादी की मोटरसाईकिल से जिला उधोग केन्द्र झुंझुनूं के लिए रवाना किया गया। बाद सत्यापन श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 मय परिवादी श्री रविकान्त के हाजिर कार्यालय आये तथा श्री रोहिताश्व सउनि को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर जिला उधोग विभाग के कार्यालय से पहले पहुंच कर परिवादी को जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु जिला उधोग कार्यालय में रवाना किया। करीबन 15 मीनट बाद परिवादी जिला उाधोग केन्द्र से वापिस बाहर आया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मैने प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया श्री नीरज बाबू ने मेरा ऋण प्रार्थना पत्र को अप्रूवल करने की एवज में 2500 रुपये रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत राशि कल देने के लिए कहा है। परिवादी से पूछताछ पर कानि. द्वारा बताई गई बातो की ताईद होना बताया। जिस पर मै व परिवादी रवाना हाजिर कार्यालय आये। श्री रोहिताश्व सिंह सउनि द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमारी को चला कर सुना तो परिवादी एवं कानि. द्वारा बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई। श्री रोहिताश्व

सिंह सउनि ने जरिये मोबाईल श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात निवेदन किये तथा निर्देशानुसार परिवादी का प्रार्थना पत्र व डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 17.03.2026 को श्री नरेन्द्र कुमार पूनियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री रोहिताश्व सिंह सउनि से परिवादी श्री रविकान्त का प्रार्थना पत्र मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय रनिंग नोट प्राप्त किया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चला कर सुना तो श्री रोहिताश्व सिंह द्वारा मोबाईल पर बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। परिवादी का प्रार्थना पत्र मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड, अब तक की कार्यवाही का रनिंग नोट अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक को सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र, रनिंग नोट का अवलोकन किया एवं डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड को चलाकर सुना तो रिकार्ड आवाज में एक व्यक्ति द्वारा दुसरे व्यक्ति से ऋण प्रार्थना पत्र को अपूर्व करने की एवज में 2500 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। परिवादी श्री रविकान्त उपस्थित कार्यालय आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को लिखित प्रार्थना पत्र दिखाया तो स्वयं द्वारा लिखित प्रार्थना होना बताया। परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड आवाज के बारे में पूछताछ की तो परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज श्री नीरज बाबू उधोग विभाग तथा एक अन्य व्यक्ति की आवाज होना बताया। परिवादी ने बताया कि मैने प्रधानमंत्री एम्पलोईमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत जिला उधोग विभाग झुंझुनूं में 5 लाख रूपये के लोन के लिए दिनांक 26.02.2026, 04.03.2026 को आवेदन किया था, जिसको उधोग विभाग द्वारा दो बार निरस्त कर दिया है। दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा पुनः आवेदन किया गया है जिस पर श्री नीरज बाबू ने मेरे को अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल कर मुझे उधोग विभाग कार्यालय में बुलाया और ऋण प्रार्थना पत्र अपूर्व करने की एवज में मेरे से 2500 रुपये रिश्वत की मांग की है। श्री प्रवीण कुमार कानि. 36 कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग झुंझुनूं से श्री मुकेश कुमार सैनी, सर्वेयर, एवं श्री तेजप्रकाश विश्नोलिया खनि. कार्य देशक को हमराह लेकर कार्यालय उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री रविकान्त से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती चाही तो दोनो ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री रविकान्त द्वारा दिनांक 16.03.2026 को आरोपी श्री नीरज बाबू जिला उधोग विभाग झुंझुनूं से हुई रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्युटर में लगाकर रिकार्ड वार्ता को परिवादी श्री रविकान्त एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश कुमार सैनी एवं श्री तेजप्रकाश विश्नोलिया की उपस्थिति में रिकार्ड वार्ता का फर्द वार्ता रुपान्तरण श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर से जोडकर उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी GEONIX 16GB के तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव GEONIX 16GB को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड HIKVISION 8GB को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ए-1 अंकित किया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी नीरज बाबू एवं एक आवाज अन्य व्यक्ति की आवाज होने की पहचान की है। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री रविकान्त को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 05 नोट कुल 2500 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटा पर श्री दलीप कुमार कानि. 10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री तेजप्रकाश विश्नोलिया से परिवादी श्री रविकान्त की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 2500 रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कानि. 10 से परिवादी श्री रविकान्त की पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री रविकान्त को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप कुमार कानि. 10, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीशियो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप

पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया खाली मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक रिकार्ड करने हेतु श्री ईशाक मौहम्मद कानि. 40 को सुपूर्द किया गया। श्री दलीप कुमार कानि 10 को कार्यालय में छोडा गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री नरेन्द्र कुमार पूनियाँ अ.पु.अ., श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि., श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि., श्री कुमार सानू कानि. 138, श्री ईशाक मौहम्मद कानि. 40, श्री विक्रम सिंह कानि. 92, श्री नरेन्द्र कुमार कानि. 81, श्री प्रवीण कुमार कानि. 36 श्री प्रमोद पूनियां क0स0 स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश कुमार एवं श्री तेजप्रकाश, परिवादी श्री रविकान्त मय सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु जिला उधोग केन्द्र झुंझुनूं के पास पहॅुच वाहनो को साईड में खड़ा करवाया गया। परिवादी एवं समस्त जाप्ता को आवश्यक समझाईश की गई। परिवादी श्री रविकान्त को डिजिटल वायॅस रिकार्डर चालु कर सुपूर्द किया तथा परिवादी को जिला उधोग केन्द्र झुंझुनूं में श्री नीरज बाबू के पास रिश्वत देने हेतु रवाना किया गया। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, श्री विक्रम सिंह कानि. 92 को परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के जिला उधोग केन्द्र के आसपास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 01.33 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास परिवादी का मिस कॉल का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के जिला उधोग केन्द्र के अन्दर पहुंचे जहा जिला उधोग केन्द्र के अन्दर बने कक्ष के अन्दर परिवादी व उसके पास एक व्यक्ति कमरे के अन्दर कुर्सी पर बैठा हुआ मिला। पास में ही दो अन्य व्यक्ति बैठे हुये थे। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्ड प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री नीरज कुमार बाबू है जिन्होने अभी अभी मेरे से 2500 रुपये रिश्वत के अपने बाये हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेंट के पीछे की बाई जेब में रख लिये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम नीरज कुमार पुत्र श्री सुलताना राम, जाति जाट, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 42, कलाम कोचिंग के पीछे, जाट कालोनी सीकर हाल स्टेनोग्राफर जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर को परिवादी से 2500 रुपये किस बात के लिए है पूछा तो श्री नीरज कुमार ने बताया कि जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र में एक जिला एक उत्पाद की प्रदर्शनी चल रही है जिसमें श्री रविकान्त भी आया हुआ था जिसने मुझे कहा कि मुझे प्रदर्शनी से कुछ सामान लेना मै आपको 2500 रुपये नकद दे दूंगा आप मुझे 2500 रुपये आन लाईन पेमेन्ट कर देना जिस पर मैने श्री रविकान्त से 2500 रुपये नकद लिये थे तथा मै रविकान्त को वापस आन लाईन भुगतान कर रहा था इतनी देर आप गये और मै रविकान्त को आन लाईन पेमेन्ट नही कर सका। पास ही खडे परिवादी ने श्री नीरज कुमार की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि श्री नीरज कुमार बाबू झुठ बोल रहे है इन्होने मेरा प्रधानमंत्री एम्पलाईमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत 5 लाख रुपये के ऋण के लिए दिनांक 26.02.2026, 04.03.2026 एवं 11.03.2026 को आवेदन किया था जिन्होने मेरे ऋण के आवेदन को दो बार निरस्त कर दिया। मेरे द्वारा दिनांक 11.03.2026 को किये गये आवेदन को स्वीकृत करने की एवज में मेरे से दिनांक 16.03.2026 को 2500 रुपये रिश्वत की मांग की थी, आज मैने 2500 रुपये दिये है, श्री नीरज बाबू ने 2500 रुपये अपने बाये हाथ से लेकर अपनी पहनी पेंट की पीछे की बाई जेब में रख लिये है। श्री नीरज बाबू द्वारा रिश्वत लेने की पुष्टी होने पर दाहिना हाथ श्री कुमार सानु कानि. 138 एवं बाया हाथ श्री ईशाक मौहम्मद कानि. 40 से पकड़वाया गया। श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर के पहनी हुई पेंट की बाई जेब की तलाशी गवाह श्री तेजप्रकाश से लिवाई गइ तो पीछे की बाई जेब से पांच सौ रुपये के पांच नोट मिले जिन्हे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु होना पाये गये। श्री नीरज की पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब से बरामद 2500 रुपये गवाह श्री तेजप्रकाश के पास सुरक्षित रखवाये गये। उक्त कमरे मे बैठे दो अन्य व्यक्तियो के नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री गोविन्द जागिड पुत्र श्री सागर मल जागिड उम्र 35 साल निवासी बड़ागांव पुलिस थाना गुढा गौडजी जिला झुंझुनूं हाल सहायक प्रोग्रामर जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं एवं दुसरे व्यक्ति ने अपना श्री अमित जागिड पुत्र श्री औमप्रकाश उम्र 28 साल निवासी बिरमी थाना बिसाउ जिला झुंझुनू हाल वरिष्ठ सहायक जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं होना बताया। उक्त दोनो व्यक्तियो को श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर को परिवादी श्री रविकान्त से 2500 रुपये किस बात के लिए है पूछने पर बताया कि हम हमारे काम में व्यस्त थे, श्री नीरज कुमार ने रुपये लिये हो तो हमे इसकी जानकारी नही है। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर दोनो प्लास्टिक के गिलासो में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री नीरज कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियो को तैयार रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गदमेला हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गदमेला होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड मोहर कर

कब्जा एसीबी लिया गया तथा बाये हाथ की अंगुलियो को दुसरे गिलास में तैयार रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी सी झाईया देता हुआ हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी सी झाईया देता हुआ होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। दोनो प्लास्टिक के गिलासो को जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री नीरज कुमार की पहनी हुई पेंट बरंग नीला को सम्मान जनक से उतरवाकर दुसरा लोअर (पायजामा) उपलब्ध करवा गया। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथो एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर की पेंट की पीछे की बाई जेब को उलटवाकर रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का बहुत हल्का गुलाबी हो गया। सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने बहुत हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर श्री नीरज कुमार की पेंट की पीछे की बाई जेब से लिये गये धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। पेंट बरंग नीली को सुखवाकर जेब के अन्दर संबधितो के हस्ताक्षकर करवा पेंट को एक सफेद कपड़े की थैली में रख शिल्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर से बरामद रिश्वती राशि 2500 स्वतंत्र गवाह श्री तेजप्रकाश के पास रखी का विवरण निम्न प्रकार है। 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BG 759320, 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7HF 465147, 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4PL 506855, 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8GE 742516, 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9QD 226725 । बरामदशुदा उपरोक्त 2500 रूपयों के नोटो को एक सफेद कपड़े की चिट में सीलवाकर बरामद रिश्वती राशि को सील्ड मोहर कर कपडे़ की चिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। परिवादी श्री रविकान्त द्वारा जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं में प्रधानमंत्री एम्पलाईमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत 5 लाख रुपये के ऋण के लिए किये गये आवेदन से संबंधित रिकार्ड श्री अभिषेक चोबदार महाप्रबंधक, जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं ने पेश कर बताया कि श्री रविकान्त ने दिनांक 26.02.2026 को आवेदन किया था जो पोर्टल स्टेटस अनुसार दिनांक 04.03.2026 को निरस्त कर दिया। उसके बाद दिनांक 04.03.2026 को श्री रविकान्त द्वारा पुनः आवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 09.03.2026 को निरस्त कर दिया। परिवादी श्री रविकान्त द्वारा पुनः दिनांक 11.03.2026 को आवेदन प्राप्त होने पर आज दिनांक 17.03.2026 को बैंक को भेज दिया गया। परिवादी श्री रविकान्त द्वारा प्रधानमंत्री एम्पलाईमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत 5 लाख रुपये के ऋण से सबंधित रिकार्ड जरिये पत्रांक 3486 दिनांक 17.03.2026 द्वारा पेज संख्या 01 से 49 तक की प्रमाणित प्रति पेश की जो शामिल कार्यवाही की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) से सबंधित कार्य श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर द्वारा सम्पादित किया जाता है। आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर, जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं के बरामदगी रिश्वत राशि, हाथो एवं पेंट के धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर, जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं के विरुद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही में बरामदगी रिश्वत राशि, हाथो एवं पेंट के धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से सरकारी मोबाईल में HIKVISION 8GB का मौमोरी कार्ड डालकर रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड में की गई विडियोग्राफी की रिकार्डिंग से श्री प्रमोद पूनियॉ क.स. द्वारा लेपटाप की सहायता से दूसरा मैमोरी कार्ड HIKVISION 8GB में विडियोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर मूल मैमोरी कोर्ड की हैश वेल्यु निकाली गई। मूल मैमोरी कार्ड HIKVISION 8GB को उसी की पैकिंग में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा सफेद कपडे़ की थैली डालकर थैली को शिल्ड कर कपड़े की थैली पर मार्क सी अंकित किया गया। आरोपी श्री नीरज कुमार पुत्र श्री सुल्तान राम, जाति जाट, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 42, जाट कालोनी देवा बाबा की प्याउ के सामने नवलगढ़ रोड़ सीकर पुलिस थाना उधोग नगर जिला सीकर हाल शीघ्रलिपिक (आशुलिपिक) जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री रविकान्त से प्रधानमंत्री एम्पलाईमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत 5 लाख रुपये के ऋण को अप्रुवल करने की एवज में दिनांक 16.03.2026 को 2500 रुपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 17.03.2026 को श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर को परिवादी से 2500 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। रिश्वत राशि 2500 रुपये उसकी पहनी हुई पेंट की पीछे की बाई जेब से बरामद हुई जिसका उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आना पाया जाने पर जूर्म से आगाह करा एवं आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत करा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी श्री नीरज कुमार के बडे भाई श्री अनुराग के मोबाईल नम्बर पर दी गई। परिवादी श्री रविकान्त द्वारा दिनांक 17.03.2026 को आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर से हुई रूबरू वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस

रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। फर्द वार्ता रुपान्तरण श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी geonix 16 gb के तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव geonix 16 gb को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क डी अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड HIKVISION 8GB को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क डी-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर की आवाज होने की पहचान की है। स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री रविकान्त की उपस्थिति में आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर, जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 9 को कार्यालय के श्री प्रवीण कुमार कानि. 36 से नष्ट कराई गई। बाद कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं गिरफ्ताशुदा आरोपी श्री नीरज कुमार व जप्त शुदा वजह सबुत आर्टिकल हमरा लेकर एसीबी कार्यालय झुंझुनूं आया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री नीरज कुमार पुत्र श्री सुल्तान राम, जाति जाट, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 42, जाट कालोनी देवा बाबा की प्याउ के सामने नवलगढ़ रोड़ सीकर पुलिस थाना उधोग नगर जिला सीकर हाल शीघ्रलिपिक (आशुलिपिक) जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री रविकान्त से प्रधानमंत्री एम्पलाईमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत 5 लाख रुपये के ऋण को अप्रुवल करने की एवज में दिनांक 16.03.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 2500 रुपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 17.03.2026 को श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर को परिवादी श्री रविकान्त से 2500 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। रिश्वत राशि 2500 रुपये उसकी पहनी हुई पेंट की पीछे की बाई जेब से बरामद हुई। आरोपी श्री नीरज कुमार स्टेनोग्राफर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आता है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (सुरेशचन्द) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नीरज कुमार पुत्र श्री सुल्तान राम, जाति जाट, उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 42, जाट कालोनी देवा बाबा की प्याउ के सामने नवलगढ़ रोड़ सीकर पुलिस थाना उधोग नगर जिला सीकर हाल शीघ्रलिपिक (आशुलिपिक) जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र झुंझुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 717 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 521-24 दिनांक 18.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुन्झुनू 2- आयुक्त, उधोग एवं वाणिज्य, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Subhash Meel **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/03/2026 18:19:24

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)